

अपराध को ट्रैक करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करें

प्रासंगिकता: जीएस-2: इन कमजोर वर्गों के सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

मुख्य वाक्यांश: अपराध और अपराधी सूचना प्रणाली (CCIS), सामान्य एकीकृत पुलिस अनुप्रयोग (CIPA), इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS), एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS), सेवाओं का बंडल, मॉडल पुलिस अधिनियम (बिल), “एक पुलिस” और “एक जेल”

चर्चा में क्यों?

- जैसे-जैसे देश भर में धोखाधड़ी की गतिविधियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, सीसीटीएनएस उपयोगकर्ताओं को प्रतिरूपण, जालसाजी, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए धोखेबाजों को खोजने में सक्षम बनाता है।



भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े मुद्दे:

- प्रत्येक कड़ी में कमजोरियां होती हैं और अपराध की स्थिति और प्रकृति के आधार पर जांच की दर अलग-अलग होती है।
- आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) अपराधों के लिए, जांच दर केवल 65 प्रतिशत के आसपास है, अन्य 35% का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
- इसके अलावा एक जांच जरूरी नहीं कि प्राथमिकी या चार्जशीट तक ले जाए।
- गुजरात में जांच की दर 95 प्रतिशत से अधिक है, जबकि झारखंड में यह लगभग 45 प्रतिशत है।
- चार्जशीट की दरें (जांच किए गए मामलों के प्रतिशत के रूप में) भी राज्यों में व्यापक रूप से भिन्न हैं। आईपीसी अपराधों के लिए, अखिल भारतीय औसत 72 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।
- आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल में यह 90 प्रतिशत से अधिक है, जबकि असम में यह 40 प्रतिशत से कम है।

क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस):


- सीसीटीएनएस परियोजना, 2009 में 2000 करोड़ रुपये के कुल स्वीकृत परिव्यय के साथ शुरू की गई थी।
- यह पुलिस स्टेशनों को जोड़ती है, प्राथमिकी पंजीकरण, जांच और चार्जशीट को डिजिटाइज़ करता है।
- सीसीटीएनएस अपराध और अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस भी रखता है। कुल मिलाकर, यह अधिक सामान्य अर्थों में उन्नत ई-गवर्नेंस के बारे में है।
- कुछ समय से सीसीटीएनएस का कार्य प्रगति पर रहा है, जिसमें पूर्ववर्ती पहल के रूप में अपराध और अपराधी सूचना प्रणाली (सीसीआईएस) और कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन (सीआईपीए) शामिल हैं।
- सीसीटीएनएस इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) को फीड करता है, जिसमें ई-कोर्ट, ई-जेल, फोरेंसिक और अभियोजन शामिल हैं, जो आपराधिक न्याय वितरण को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं।

सीसीटीएनएस के उद्देश्य:

- पुलिस प्रक्रियाओं (एफआईआर, जांच, चालान) का कम्प्यूटरीकरण हासिल करना।
- अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड के राष्ट्रीय डेटाबेस पर अखिल भारतीय खोज प्रदान करें।
- राज्य और केंद्र में अपराध और आपराधिक रिपोर्ट उत्पन्न करें।
- एक वेब पोर्टल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करें।
- अधिक प्रभावी न्याय वितरण के लिए पुलिस स्टेशनों, न्यायालयों, जेलों, फोरेंसिक और अभियोजन पक्ष के बीच अपराध और आपराधिक डेटा साझा करना।

कार्यान्वयन की रूपरेखा:

- सीसीटीएनएस को "केंद्रीकृत योजना और विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन" के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) सिद्धांत के अनुरूप लागू किया गया है।



- गृह मंत्रालय और एनसीआरबी कुछ मुख्य घटकों के विकास और कार्यक्रम की निगरानी और समीक्षा में राज्यों के भीतर पुलिस नेतृत्व के सहयोग से कार्यक्रम की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- केंद्र (एमएचए और एनसीआरबी) की भूमिका मुख्य रूप से योजना बनाने, कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (सीएस) प्रदान करने (राज्यों में कॉन्फिगर, अनुकूलित, उन्नत और तैनात करने के लिए) पर केंद्रित है।
- हालांकि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य स्तर पर योजना और कार्यान्वयन को संचालित करते हैं।
- राज्य स्तर पर सीसीटीएनएस कार्यान्वयन की केंद्रीय विशेषता "सेवाओं की बंडलिंग" अवधारणा है।
- इसके अनुसार, प्रत्येक राज्य ने एक सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) का चयन किया जो सीसीटीएनएस के सभी घटकों के लिए राज्य के लिए संपर्क का एक बिंदु है।

सीसीटीएनएस वाले पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग:

- गृह मंत्रालय ऑब्जेक्टिव डेटा (80 प्रतिशत वेटेज के साथ) और सर्वे-आधारित आकलन (20 प्रतिशत वेटेज के साथ) के आधार पर पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग करता है।
- 2022 में, गंजम (ओडिशा) में अस्का को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया था।
- सीसीटीएनएस सीधे रैंकिंग में प्रवेश नहीं करता है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से, करता है।
- सीसीटीएनएस के आधार पर राज्य (यूटी) के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग की जाती है।
- यदि सीसीटीएनएस का उपयोग नहीं किया जाता है, तो पुलिस स्टेशन को शॉर्ट-लिस्ट किए जाने की कोई संभावना नहीं है।
- राज्यों में, सीसीटीएनएस के विभिन्न पहलुओं - बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और डेटाबेस के उपयोग पर एक अलग प्रगति डैशबोर्ड है।

राज्यों के बीच परिवर्तनशीलता:

- पश्चिम बंगाल में, केवल 77% पुलिस स्टेशन सीसीटीएनएस से जुड़े हैं, इस तथ्य के बावजूद कि 97% पुलिस स्टेशन जुड़ सकते हैं (जनवरी 2022 तक)।
- बिहार में, डेटा रिकॉर्ड का 0% अग्रेषित किया गया है।
- कर्मचारियों की कमी (रिक्तियों और रिक्तियों को भरना दोनों) एक कारण है।
- 2016 में, गृह मंत्रालय ने एक मॉडल जेल मैनुअल निकाला।
- कई राज्यों ने इसे नहीं अपनाया है और अपने पुराने जेल मैनुअल को अपडेट नहीं किया है।

एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस):

- सीसीटीएनएस परियोजना का दायरा पुलिस डेटा को आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तंभों के साथ एकीकृत करने के लिए आगे बढ़ाया गया है - न्यायालय, जेल, अभियोजन, फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट और तदनुसार एक नई प्रणाली- "एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस)" विकसित किया गया।

ई-जेल की आवश्यकता:

- नामांकन और उन्नयन के लिए कैदियों को आधार तक पहुंच की आवश्यकता है क्योंकि इससे जेल प्रशासन आसान हो जाएगा।
- बेशक, आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि एक कैदी को सरकारी सहायता प्राप्त करने वाला नहीं माना जा सकता है।
- फिर भी, ऐसे मामलों में भी जहां यह अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक प्रमाणीकरण के लिए आधार का उपयोग कई सेवाओं में लोकप्रिय हो गया है।

आगे की राह:

- आपराधिक न्याय प्रणाली का मानकीकरण, सामंजस्य और एकीकरण करना महत्वपूर्ण है।
- आखिरकार, एक नागरिक को कानून और व्यवस्था के समान स्तर का अधिकार होना चाहिए, निवास की परवाह किए बिना और सीसीटीएनएस को इसे प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- लगभग 17,000 पुलिस स्टेशन हैं और 97 प्रतिशत से अधिक में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी है।
- डेटा का डिजिटाइज़ करना, डेटा माइग्रेशन सुनिश्चित करना, सीसीटीएनएस में एफआईआर दर्ज करना, नागरिक पोर्टल लॉन्च करना आदि वांछित हस्तक्षेप, इसके उद्देश्य हैं।
- हालांकि, जिस तरह ई-गवर्नेंस में अक्षर "ई" के कारण स्वतः, स्वचालित रूप से शासन में सुधार नहीं होता है, उसी तरह सीसीटीएनएस उपकरण सुविधा देता है, लेकिन पुलिस के प्रदर्शन में स्वचालित रूप से सुधार नहीं करता है।

निष्कर्ष:

- पुलिस सुधारों का एजेंडा वर्षों से रुका हुआ है।
- आदर्श जेल नियमावली की तरह, मॉडल पुलिस अधिनियमों (विधेयकों) के माध्यम से कुछ खास नहीं निकला।
- भारत "एक पुलिस" और "एक जेल" के सिद्धांतों से बहुत दूर है।
- शासन के इस पहलू में, यदि राज्य दो अलग-अलग दुनिया से संबंधित हैं, तो सीसीटीएनएस कितना भी अच्छा साधन क्यों न हो, लाभ कम होगा।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पुलिस और जेल दोनों राज्य सूची अनुसूची में हैं।
2. कानून और न्याय मंत्रालय पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग करता है।
3. किसी राज्य (यूटी) के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग सीसीटीएनएस के आधार पर की जाती है।
4. यदि सीसीटीएनएस का उपयोग नहीं किया जाता है, तो पुलिस स्टेशन को शॉर्ट-लिस्ट किए जाने की कोई संभावना नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1, 3 और 4
- d) केवल 1 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- पुलिस और जेल दोनों सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में हैं। अतः कथन 1 सही है।
- गृह मंत्रालय ऑब्जेक्टिव डेटा (80 प्रतिशत वेटेज के साथ) और सर्वे-आधारित आकलन (20 प्रतिशत वेटेज के साथ) के आधार पर पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग करता है। अतः कथन 2 गलत है।
- सीसीटीएनएस सीधे रैंकिंग में प्रवेश नहीं करता है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से, करता है। राज्य (यूटी) के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग सीसीटीएनएस के आधार पर की जाती है। अतः कथन 3 सही है।
- यदि सीसीटीएनएस का उपयोग नहीं किया जाता है, तो पुलिस स्टेशन को शॉर्ट-लिस्ट किए जाने की कोई संभावना नहीं है। अतः कथन 4 सही है।

अतिरिक्त जानकारी:

- 2022 में, गंजम (ओडिशा) में अस्का को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया था।
- राज्यों में, सीसीटीएनएस के विभिन्न पहलुओं - बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और डेटाबेस के उपयोग पर एक अलग प्रगति डैशबोर्ड है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्र. देश भर में कपटपूर्ण कार्रवाहियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और सीसीटीएनएस उपयोगकर्ताओं को प्रतिरूपण, जालसाजी, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए धोखेबाजों को खोजने की अनुमति देता है। परीक्षण करें। (250 शब्द)

स्रोत: Indian Express